<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

10.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव के अनुपातहीन संपत्ति मामले से जुड़े धन शोधन की जांच के संबंध में श्रीमती विभा वेदप्रकाश श्रीवास्तव के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जबलपुर में 10.03.2026 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इस मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी श्रीमती विभा श्रीवास्तव को पूर्व-संज्ञानात्मक सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है।

सीबीआई और एसीबी, जबलपुर द्वारा आईपीसी, 1860 की धारा 109 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(ई) के तहत पश्चिमी रेलवे, राजकोट डिवीजन (गुजरात) के तत्कालीन संभागीय अभियंता श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव और उनकी पत्नी श्रीमती विभा श्रीवास्तव के खिलाफ उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई ने दिनांक 23.05.2023 को जबलपुर स्थित सीबीआई मामलों के विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट संख्या 02/2023 दाखिल की।

ईडी की जांच में पता चला कि स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने रेलवे में लोक सेवक के रूप में कार्यरत रहते हुए 1 अप्रैल 2008 से 25 मई 2018 की अवधि के दौरान अपनी ज्ञात वैध आय से लगभग 112.39% अधिक अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की थी। इन संपत्तियों में अचल संपत्तियां, बैंक खाते, सावधि जमा, पीपीएफ निवेश और उनके साथ-साथ उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों के नाम पर धारित अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल थीं। इस मामले में अपराध से प्राप्त कुल आय लगभग 1.66 करोड़ रुपये आंकी गई है।

जांच के दौरान, ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दिनांक 05.02.2026 के अनंतिम कुर्की आदेश के माध्यम से लगभग 1.58 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है। अधिग्रहित संपत्तियों में दो आवासीय फ्लैट, सावधि जमा और स्वर्गीय श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव और श्रीमती विभा श्रीवास्तव के नाम बैंक बैलेंस शामिल हैं।